

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.03.2023

चोरी की घटनाओं का खुलासा, 02 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत चोरी के मुकदमों में वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 24.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमों का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोरो- 01. राजेन्द्र सिंह, 02. बुधई को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 07.03.2023 को वादी सब्यसाची मिश्र की पीएम मार्बल्स दुकान में व दिनांक 18.03.2023 को बाबा पुरवा धौरहराघाट स्थित वादी अनिल कुमार की ज्वेलरी की दुकान में चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गजई सिंह नि0 ग्राम चन्दीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. बुधई पुत्र स्व0 रामचन्द्र नि0 ग्राम नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-102/23 धारा 379,457,380,411 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-110/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना तरबगंज गोण्डा।

बरामदगी-

01. 05 जोड़ी बिछिया सफेद धातु।
02. 02 अछद गुल्ली सफेद धातु।
03. 02 अदद गले का लाकेट सफेद धातु।
04. 06 अदद आरटीफीसीयल माला पीली धातु।
05. 02 अदद एचपी मोटर।
06. 02 अदद गैस सिलेण्डर।
07. 02 अदद एल्युमिनियम का भगोना।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.03.2023

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बड़गाव पुल के नीचे गांधी इंटर कॉलेज गेट से खैरा भवानी मंदिर जाने वाले सड़क मार्ग से अभियुक्त मो० इमरान उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 356 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो० इमरान उर्फ मोनू पुत्र स्व० मो० शमीम नि० ग्राम मोहल्ला बड़गांव निकट रेलवे मस्जिद थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-246/23, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 356 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 24.03.2023

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में साइबर हेल्पडेस्क को0 देहात की त्वरित कार्यवाही से फ्रॉड की गई धनराशि 3,000/- के वापस मिलने पर पीड़िता के चेहरे पर लौटी मुस्कान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जन-जागरुकता अभियान चलवाकर साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनसामान्य को जागरुक करवाया जा रहा है इसके साथ ही साथ साइबर अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 24.03.2023 को पीड़िता प्रेमा देवी पत्नी सिपाही लाल निवासी ग्राम खदरनपुरवा खरगूचाँदपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा के खाते से बैंक कर्मचारी के नाम डिटेल माध्यम से पैसे भेजने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा आवेदिका प्रेमा देवी के खाते से 3000 ध- रूपये निकाल लिया था। जिस पर आवेदिका द्वारा तत्काल थाना को0 देहात पर सूचित किया गया। थाना कोतवाली देहात साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 1930 पर काल कर आवेदिका का पैसा होल्ड कराया गया। पीड़िता को पूरे पैसे मिल जाने पर पीड़िता ने पुलिस टीम को सहृदय धन्यवाद दिया गया।

नोट:- किसी भी अंजान व्यक्ति के फोन कॉल पर कभी भी बैंक डिटेल, एटीएम डिटेल व ओ0टी0पी0 कभी शेयर न करें। साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या 1930 पर शिकायत दर्ज कराए।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-26 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना छपिया पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनिल कुमार पुत्र स्व० प्रहलाद नि० जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/23, 02. टिकू पुत्र भगवानदीन नि० ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-142/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।